अनुसचित वाणिज्यिक बैंकों की अग्रिमों के लिए 2.3.1992 से प्रभावी ब्याज दर संरचना ब्याज कर को छोड़कर निम्नानुसार है:—

(प्रतिशतता प्रतिवर्ष)

सीमा का आकार	ब्याज दर
(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए डी०आर०आई० योजना के तहत 6500 रुपए तक के ऋण	4.0
(ii) 7500 रुपए तक तथा इसके समेत	11.5
(iii) 7500 रुपए से अधिक तथा 15000 रुपए तक	13.0
(iv) 15000 रुपए से अधिक तथा 25000 रुपए तक	13.5
(v) 25000 रुपए से अधिक तथा 50,000 रुपए तक	15.5
(vi) 50,000 रुपए से अधिक तथा 2 लाख रुपए तक	16.5
(vii) 2 लाख रुपए से अधिक	19.0 (न्यूनतम)

उपर बताए गए के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों के मामले में ब्याज की दरों में बहुत अन्तर है जो ऋण के आकार पर निर्भर है। दूसरी ओर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के प्रचालन का स्तर इस प्रकार है कि वे डी०आर०आई० के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वार्षिक की निम्न दर पर ऋण नहीं दे सकते। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें इस योजना से बाहर रखा है।

अल्प ऋणों की वसूली

2984. **मोहम्मद अफज़ल उर्फ मीम अफज़ल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पांच हजार रुपये तक का बैंक कर्ज अदा न करने पर सरकार की ओर से वसूली की कार्यवाही न करने के अनुदेश हैं;

(ख) यदि हां, तो सहकारी बैंकों द्वारा उन निर्धन व्यक्तियों से धन की वसूली के लिए कार्यवाही किए जाने के क्या कारण हैं जिन्होंने केवल दो हजार रुपए तक का ही ऋण लिया हुआ था और कुछ जायज मजबूरियों की वजह से उसे अदा नहीं कर पाए; और

(ग) इस संबंध में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) बैंकों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार, सभी ऋण-कर्ताओं जो बैंकों से किसी प्रकार का ऋण/वित्त निभाव प्राप्त करते हैं, उन सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसे बैंक और उधारकर्ता के बीच वापसी भुगतान की सम्मत अनुसूची के अनुसार वापस करेंगे। इस बारे में यदि ऋण-कर्ता कोई चूक करता है तो चूक की रकम चाहे कुछ भी हो, इसकी वसूली के लिए उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण-कर्ताओं से बकाया की वसूली करना, उनकी साधारण गतिविधियां हैं, तथा इस विषय में सरकार द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं।

Impact of Government's Decision on Bringing Gold into the Country and - Convertibility of Rupee

2985. SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRIMATI BASANTI SARMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what has been the fall in gold prices till 10th March 1992 at the bullion market in the country since Government's decision to allow N.R.ls to bring with them gold to the extent of five kilos;

(b) whether this decision has made any impact on international prices of gold;

(c) what is Government's expectation of import of gold in next financial year as result of this decision;

(d) whether there has been any impact on value of rupee vis-a-vis foreign currencies due to the decision of partial convertibility of rupees; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) The price of gold in Bombay bullion market fell from Rs. 4700 per 10 grammes on 27th February 1992 to Rs. 4176 per 10 granmes on 10th March, 1992.

(b) No, Sir.

(c) It is expected that legal imports of gold will significantly rise in the next year at the expense of such imports through illegal channels.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.